फर्द अहकाम

(नियम--26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना–कुचामन)

प्रार्थी
श्रीराम पुत्र मुरलीमनोहर
निवासी–घाटवा, तहसील–कुचामन

बनाम

अप्रार्थीगण
अन्तरकवंर पुत्री उगमकवंर
निवासी–घाटवा तहसील नावां

प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र

संख्या – 261/2025

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
30.07.2025	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री आनन्दीलाल कुमावत ने यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर कार्यालय रिपोर्ट प्राप्त की गई। कार्यालय रिपोर्ट का अवलोकन किया। कार्यालय रिपोर्ट के अवलोकन से उक्त प्रकरण के संबंध में केवियट प्रार्थना पत्र अधीन धारा 148 (क) प्रस्तुत किये जाने की पुष्टि हुई। केवियटकर्ता प्रार्थी (अप्रार्थी संख्या 14) ज्योतिकवंर पुत्री सुमेरसिंह की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमावत उपस्थित हुये। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत् अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आवश्यक प्रकृति का होना जाहिर किया तथा प्रकरण में बहस सुने जाने का निवेदन किया। उभय पक्षकारान के अधिवक्ता के निवेदन पर एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अप्रार्थी संख्या 14 ने दस्तावेज सूची पेश की। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दू प्रथम दृष्टयां मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होते है, इसलिए हस्तगत प्रकरण में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायालय उचित नहीं समझता है। अप्रार्थी संख्या 1 से 13 व 15 से 58 की तलबी हेतु प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता रजि. एडी. के सम्मन पेश करे। मिसल वास्ते तलबी दिनांक 20.08.2025 को पेश हो। (दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी, नावां	
20/8/25	पत्रावली पेश हुई । वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बधारे है पत्रावली दिनांक 17/10/25 को पेश हो	
17/10/25	पत्रावली पेश हुई बार एसोशियेशन ने कन्डोलेन्स कर कार्य स्थगन का निवेदन किया। पत्रावली इल्तवा होकर दिनाँक 11/12/25 को पेश हो।	
11/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बाहर दधारे है पत्रावली दिनांक 30/1/26 को पेश हो	
30/1/26	वकील प्रार्थी ओर हाजिर। पत्रावली से संबंधित मूल राजस्व वाद नं. 193/2025 के अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज हो जाने से प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं रहा है अतः प्रार्थना पत्र मूल वाद खारिज हो जाने पर स्वतः पोषणीय नहीं रहा है अतः खारिज किया जाता है। मिसल नम्बर से कम होकर दाखिल रिकार्ड हो। उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना–कुचामन)	

Scanned with OKEN Scanner